केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भोपाल में एनआईएमएचआर खोले जाने को मंजूरी दी

drishtiias.com/hindi/printpdf/cabinet-approves-mental-health-institute-in-bhopal

चर्चा में क्यों?

प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भोपाल में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य पुर्नवास संस्थान (एनआईएमएचआर) खोले जाने को मंजूरी दे दी है। ध्यातव्य है कि मध्यप्रदेश सरकार ने भी इस संस्थान की स्थापना के लिये भोपाल में लिये पाँच एकड़ जमीन दी है।

क्या है एनआईएमएचआर?

- यह संस्था निशक्त जन सशक्तिकरण विभाग के अंतर्गत एक सोसाइटी के रूप में सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1860 के तहत स्थापित की जाएगी।
- यह संस्था दो चरणों में तीन वर्ष के भीतर बनकर तैयार हो जाएगी।
- पहले तीन वर्षों में इस परियोजना पर 179.5 करोड़ रूपए खर्च होने का अनुमान है।
- इसमें 128.54 करोड़ रूपए का गैर आवर्ती व्यय और 51 करोड़ रूपए का आवर्ती व्यय शामिल है।
- मंत्रिमंडल ने इस संस्थान के लिये संयुक्त सचिव स्तर के तीन पदों मंजूरी दी है, जिनमें निदेशक के एक पद के अलावा दो पद प्रोफेसर का भी शामिल है।

उद्देश्य

- एनआईएमएचआर का मुख्य उद्देश्य मानसिक रूप से बीमार व्यक्तियों के पुर्नवास की व्यवस्था करना, मानसिक स्वास्थ पुर्नवास के क्षेत्र में क्षमता विकास करना है।
- इसके साथ ही मानसिक स्वास्थ्य पुर्नवास के लिये नीति निर्माण तथा अनुसंधान को बढ़ावा देना है।

कार्य

- इसके तहत संस्थान मानसिक स्वास्थ्य पुर्नवास के क्षेत्र में 12 विषयों में डिप्लोमा, सर्टिफिकेट, स्नातक, स्नातकोत्तर और एम.फिल डिग्री प्रदान करेगा।
- उम्मीद है कि पाँच सालों में 400 उम्मीदवारों को प्रवेश दिया जाएगा।
- पहले दो साल के भीतर संस्थान में निर्माण कार्य और बिजली का काम पूरा कर लिया जाएगा।
- जब तक भवन निर्माण का काम चलेगा तब तक संस्थान सर्टिफिकेट और डिप्लोमा पाठयक्रम चलाने और ओपीडी सेवाएं देने के लिये भोपाल में एक भवन किराये पर लेगा।
- संस्थान मानसिक रोगियों के लिये सभी तरह की पुर्नवास सेवाएँ उपलब्ध कराने के साथही स्नातकोत्तर और एम.फिल डिग्री तक की शिक्षा की भी व्यवस्था करेगा।

- एनआईएमएचआर देश में मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में अपने किस्म का ऐसा पहला संस्थान होगा जो मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्षमता विकास और पुर्नवास के मामले में एक अत्याधिक दक्ष संस्थान के रूप में काम करेगा।
- इसके अलावा यह संस्थान केंद्र सरकार को मानसिक रोगियों के पुर्नवास की प्रभावी व्यवस्था संबंधी मॉडल को विकसित करने में मदद करेगा।